परिचायक टिप्पणी

इस दस्तावेज को दो भागों; भाग क-प्राप्तियाँ और भाग ख-परिसंपत्ति एवं देयता विवरणों में संगठित किया गया है।

भाग क में सभी प्रकार की प्राप्तियों के सार के साथ-साथ उनके ब्यौरे और संक्षिप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियों को दिया गया है। इसमें कर, गैर कर राजस्व और पूंजीगत (ऋण एवं ऋण-भिन्न) प्राप्तियों से संबंधित विवरण हैं। केन्द्रीय करों में राज्यों के हिस्से के रूप में उन्हें अंतरित संसाधनों की बड़ी राशि को ध्यान में रखते हुए, बजट अनुमान (2022-23), संशोधित अनुमान (2021-2022) और वास्तविक (2020-2021) के अंतरण के राज्यवार अनुमान क्रमशः अनुबंध 4, 4क और 4ख में दिए गए हैं। ये विवरण राज्यों को अपने वित्तीय साधनों की योजना बनाने व नकदी प्रबंधन में भी बहुत सहायता करते हैं।

भाग ख में सरकार की समग्र वित्तीय स्थिति को प्रस्तुत करने के दृष्टिगत विभिन्न प्रकार की परिसंपत्तियों और देनदारियों के विवरण सन्निहित हैं। एफआरबीएम नियम, 2004 के अंतर्गत यथा अधिदेशित वार्षिकी परियोजनाओं, गैर कर राजस्व के बकायों, उत्पन्न परन्तु वसूल न किए गए कर राजस्व, परिसंपत्तियों और गारंटियों संबंधी विवरण को भी शामिल किया गया हैं। ये विवरण मंत्रालयों/विभागों द्वारा दी गई जानकारियों के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

भारत सरकार की ऋण रूपरेखा के विभिन्न आयाम भाग-ख में परिसंपत्तियों और देनदारियों संबंधी विवरणों द्वारा दर्शाए गए हैं। इन विवरणों में सरकार की ऋण देनदारी की मात्रा और संरचना का व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत किया गया है।